[2018] 4 एस. सी. आर. 466

एमएस। एक्स

वी.

तेलंगाना राज्य और ए. एन. आर.

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 000716)

17 मई, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

जमानतः

नियमित जमानत-यू/एस। 439 सी. आर. पी. सी.-यू/एस. एस. के तहत अपराधों से जुड़े मामले में स्वीकृत। 376 , 342 , 493 , 506 और आई. पी. सी. की धारा 354 (सी)-आयोजित रद्द करनाः यह इंगित करने के लिए कोई ठोस सामग्री नहीं है कि अभियुक्त

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-उन आचरण के लिए दोषी था जो उसकी स्वतंत्रता से वंचित होने की गारंटी देता है-जमानत को रद्द करने के लिए कोई पर्यवेक्षी परिस्थिति नहीं बनाई गई है। 439 .

प्रत्यर्थी के खिलाफ अपीलार्थी की शिकायत पर

अभियुक्त, यू/एस. एस. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। 376 , 343 , 493 , 506 और आई. पी. सी. की धारा 354 (सी)। अभियुक्त को दिया गया था अग्रिम जमानत, जिसे बाद में इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि आरोपी ने यह खुलासा नहीं किया था कि वह 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी था। इसके बाद, नियमित जमानत के लिए आवेदन। 439 सीआरपीसी को Rs.50,000/- के व्यक्तिगत मुचलके को निष्पादित करने पर आरोपी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देने की अनुमति दी गई थी। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच सहमति से संबंध। [पैरा 13] [475-ई-एफ] 2. अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने के आदेश का लाभ मिला। अग्रिम जमानत की मंजूरी रद्द कर दी गई थी।

466 बाहर।

एमएस। एक्स वी। तेलंगाना राज्य और ए. एन. आर. इस आधार पर कि उन्होंने 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में अपने खिलाफ अभियोजन का खुलासा नहीं किया था। सुनवाई के दौरान उन्हें सूचित किया गया कि अभियोजन पक्ष बरी हो गया है। 22 नवंबर 2017 को दर्ज की गई वर्तमान दूसरी एफ. आई. आर. में 17 नवंबर 2017 को नियमित जमानत उच्च न्यायालय में थी, जो ऐसी प्रकृति की ऐसी परिस्थिति है जो जमानत को रद्द करने की गारंटी देती है जो उच्च न्यायालय के कानून के सिद्धांत द्वारा दी गई थी कि एक बार जमानत दिए जाने के बाद तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि एक पर्यवेक्षण के आधार पर एक ठोस मामला न हो। बनाया गया है। [पैरा 14] [476-बी-सी, डी] 3. जमानत रद्द करने के लिए कोई पर्यवेक्षी परिस्थिति नहीं बनाई गई है। इस बात का कोई ठोस संकेत नहीं है कि अभियुक्त आचरण का दोषी रहा है और उसे अपनी स्वतंत्रता से वंचित किया गया है। [पैरा 15] [476 4. हालाँकि, तथ्यों और परिस्थितियों के मामले में न्यायालय द्वारा निर्धारित व्यक्तिगत बांड की मात्रा को बढ़ाया जाना चाहिए। तदनुसार, व्यक्तिगत बांड की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई। [पैरा 16] [476-एफ] कंवर सिंह बनाम। राजस्थान राज्य (2012) 12 एस. सी. सी. 180 [2012] 10 एस. सी. आर. 847; नीरु यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 15 एससीसी 422: [2015] 10 एस. सी. आर. 802; बिहार राज्य बनाम राजबल्लव प्रसाद (2017) 2 एससीसी 178: [2016] 9 एससीआर 652; डोलाट्राम बनाम। हरियाणा राज्य (1995) 1 एससीसी 349: [1994] 6 पूरक। एस. सी. आर. 69; केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, हैदराबाद बनाम। सुब्रमण्यन (2011) 5 एस. सी. सी. 296: [2011] 5 एस. सी. आर. 824; दाताराम सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य 2018 (2) स्केल 285 संदर्भित। पैरा 11 [2015] 10 एस. सी. आर. 802 को संदर्भित मामला कानून संदर्भ [2012] 10 एस. सी. आर. 847 पैरा 11 [2016] 9 एस. सी. आर. 652 को संदर्भित पैरा 11 [1994] 6 पूरक को संदर्भित किया गया है। एस. सी. आर. 69 पैरा 12 [2011] 5 एस. सी. आर. 824 पैरा 12 2018 (2) स्केल 285 पैरा 12 [2018] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2018 का सं. 716।

2017 के सी. आर. एल. पी. संख्या 10602 में हैदराबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 17.11.2017 से। करुणा नंदी, रौणक नायक, अविनेश भारद्वाज, सुश्री अपर्णा भट, मयंक सप्रा, अपीलार्थी के वकील।

मुकुल रोहतगी, सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर एडवोस, आर. एन. करंजावाला, संदीप कपूर, महेश अग्रवाल, देब माल्या बनर्जी, शिवेक त्रेहन, वीर इंदरपाल सिंह संधू, ए. एस. अमन, सुश्री निहारिका करंजावाला, सुश्री अपूर्वा पांडे, अभिमन्यु ध्यानी, मयंक अग्रवाल, अंकुर सहगल, कार्तिक भटनागर, अविरल कपूर, सुश्री इरा खालिद, मैसर्स। करंजावाला एंड कंपनी, एस. उदय कुमार सागर, मृत्युंजय सिंह, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. 17 नवंबर 2017 को उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दूसरे प्रतिवादी को जमानत दी गई थी।

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए हैदराबाद। आदेश वर्तमान अपील का विषय बनाता है।

3. दूसरा प्रतिवादी ("अभियुक्त") मुंबई में स्थित एक फिल्म निर्माता है। शिकायतकर्ता ने एक शिकायत में आरोप लगाया, जिस पर उसने शिकायत दर्ज कराई

10 जनवरी 2017 में, जून 2014 में उन्होंने एक संस्थान में दाखिला लिया था जो फिल्म अभिनय में प्रशिक्षण प्रदान करता है। वह मुंबई में किराए के मकान में रहती थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि वह आरोपी की भतीजी से परिचित हुई, जिसकी शादी दिसंबर 2014 में होनी थी। अपने दोस्त के घर जाने के दौरान, शिकायतकर्ता आरोपी से परिचित हो गई, जो एक हिंदी फिल्म का निर्माण कर रहा था। जुलाई 2015 में आरोपी पर आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता के घर खुद को आमंत्रित किया था। आरोपी और शिकायतकर्ता के पास शराब थी। द.

शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसे कुछ घूंटों के बाद चक्कर आया और आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की। जब उसे होश आया तो उसे एहसास हुआ कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया है। आरोपी उसके अपार्टमेंट से चला गया और जब उसने उसे फोन किया, तो आरोप है कि उसने उसे उसकी नग्न तस्वीरें रखने और उसके साथ अपने संबंधों की धमकी दी।

अंडरवर्ल्ड। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी के पास अभी भी एमएस है।

उसके साथ एक रिश्ता; कि वह रात के घंटों में उसके घर आएगा और उसकी इच्छा के खिलाफ उसे उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करेगा। 12 सितंबर 2015 को यह आरोप लगाया गया कि उसने उसे हैदराबाद में अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जहाँ वह एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था। शिकायतकर्ता आरोपी के साथ एक होटल में रहा, जब उस पर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया। उसने आरोप लगाया कि वह 12 अक्टूबर, 2015 को फिर से हैदराबाद गई और उसके साथ रही, जब उसने उसके साथ बलात्कार किया। शिकायतकर्ता का दावा है कि वह अवसाद से पीड़ित है और उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी उससे शादी का झूठा वादा कर रहा था और लगातार उसका शोषण कर रहा था। 10 जनवरी 2017 को हैदराबाद के हयातनगर पुलिस स्टेशन में स्टेशन अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज की गई थी।

4. जाँच के बाद, दंड संहिता की धारा 376,342,493,506 और 354 (सी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 6 मार्च 2018 को एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. आरोपी को चौथे अतिरिक्त महानगर सत्र न्यायाधीश, हैदराबाद द्वारा 30 जनवरी 2017 के एक आदेश द्वारा अग्रिम जमानत दी गई थी। अभियुक्त को आठ महीने की अवधि के लिए उस आदेश का लाभ मिला। अग्रिम जमानत के आदेश को सत्र न्यायाधीश द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि आरोपी ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया था कि वह 2 जी स्पेक्ट्रम मामले (2011 का सीसी नंबर 1) में आरोपी था। उच्च न्यायालय द्वारा 5 सितंबर 2017 को और इस न्यायालय द्वारा 22 सितंबर 2017 को रद्द करने के आदेश की पुष्टि की गई थी, हालांकि इस स्पष्टीकरण के साथ कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 439 के तहत आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय अग्रिम जमानत रद्द करते समय की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा। इसके बाद आरोपी ने दंड संहिता की धारा 376,342,493,506 और 354 (सी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए हयातनगर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज मामले में जमानत देने के लिए धारा 439 के तहत एक आवेदन दायर किया।

6. उच्च न्यायालय ने जमानत देने के लिए आवेदन को मंजूरी दे दी है और निर्देश दिया है कि आरोपी को व्यक्तिगत अपराध को अंजाम देने पर रिहा किया जाए।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो प्रतिभूतियों के साथ 50,000 रुपये का मुचलका। अभियुक्त को निचली अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है। आवेदन को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित पर भरोसा किया हैः

परिस्थितियाँः

(i) अभियुक्त लगभग आठ महीने की अवधि के लिए अग्रिम जमानत पर था, जिसके दौरान अनुचित होने का कोई आरोप नहीं है।

आचरण;

((ii) अग्रिम जमानत की मंजूरी केवल इस आधार पर रद्द कर दी गई थी कि आरोपी ने 2 जी स्पेक्ट्रम में अपनी संलिप्तता का खुलासा नहीं किया था।

मामला;

(iii) जाँच के दौरान सभी भौतिक गवाहों से पूछताछ की गई है और उनके कब्जे से बरामद सेल फोन को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है।

(iv) 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आरोपी को नियमित जमानत दी गई थी और उन शर्तों के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं था जिन पर जमानत दी गई थी। इस बीच, अभियुक्त ने न्यायालय की अनुमति से विदेश यात्रा की थी।

(vi) शिकायतकर्ता एक वयस्क है, जो अपने कार्यों से अवगत थी; और (vii) शिकायतकर्ता का यह आरोप कि आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया था, मुकदमे का विषय था और क्या उसकी सहमति धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी, यह केवल इस अवधि के दौरान ही स्थापित किया जा सकता थाः

मुकदमे की।

7. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री करुणा नंदी प्रस्तुत करती हैं किः

(i) शिकायत में आरोप गंभीर प्रकृति के हैं जो प्रभुत्व की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हैं;

बलात्कार

((ii) एक फिल्म निर्माता के रूप में अभियुक्त ने सत्ता की स्थिति का उपयोग किया।

शिकायतकर्ता के संबंध में जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री थी;

(iii) जनवरी 2016 के बीच की अवधि (शिकायतकर्ता का आरोप है कि जुलाई 2015 और जनवरी 2016 के बीच उसके साथ बलात्कार किया गया था) और जनवरी 2017 में शिकायत दर्ज करने का अर्थ उसके इस स्पष्टीकरण के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए कि आरोपी के आचरण के कारण उसने तीन मौकों पर आत्महत्या का प्रयास किया था।

एक्स वी। तेलंगाना राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

22 नवंबर 2017 को शिकायतकर्ता द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई जिसमें शिकायत की गई थी कि नई दिल्ली में उसकी कार चलाते समय एक ऑटो ने जानबूझकर उसका रास्ता बाधित किया था और उसकी कार को टक्कर मार दी थी, इसके अलावा, उसकी कार का पीछा एक अन्य वाहन ने किया था। इसके अलावा, शिकायतकर्ता पर अपनी शिकायत वापस लेने और भुगतान के खिलाफ विवाद को "निपटाने" के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया गया है।

5 करोड़ रुपये;

हालांकि आरोप पत्र दायर कर दिया गया है, लेकिन जांच अभी भी अधूरी है। अभियुक्त ने एक सेल फोन पेश करके जाँच को गुमराह करने का प्रयास किया है जो उसकी बेटी का था न कि उसकी बेटी का।

उसे।

8. शिकायतकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने कहा कि यह शादी करने के वादे के उल्लंघन से जुड़ा मामला नहीं है।

9. दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी और श्री सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि

अभियुक्त को 17 नवंबर 2017 को जमानत दे दी गई थी। विशेष अनुमति याचिका 23 दिसंबर 2017 को दायर की गई थी और मार्च 2018 में सूचीबद्ध होने तक इस अदालत की रजिस्ट्री की आपत्तियों में थी। दूसरी प्राथमिकी 22 नवंबर 2017 को दर्ज की गई थी।

जमानत दिए जाने के कुछ दिनों बाद किसी तरह सुपरवेनिंग इवेंट का मामला स्थापित किया जाता है। जमानत देने से पहले या बाद में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभियुक्त के आचरण को दर्शाता हो। नियमित जमानत देने से पहले भी अभियुक्त को लगभग आठ महीने तक अग्रिम जमानत के आदेश का लाभ मिला था और जिस एकमात्र आधार पर इसे रद्द किया गया था, वह था 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में अभियोजन पक्ष का खुलासा न करना (जो तब से समाप्त हो गया है)।

दोषमुक्त);

अग्रिम जमानत का आदेश रद्द होने के बाद, आरोपी ने पुलिस और न्यायिक हिरासत सहित 58 दिन हिरासत में बिताए और हर तरह से जांच में सहयोग किया।

मुंबई और हैदराबाद दोनों में जुलाई 2015 से जनवरी 2017 के बीच बलात्कार के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता के मामले को देखते हुए, वह स्वेच्छा से हैदराबाद [2018] 4 एस. सी. आर. में आरोपी से मिलने गई।

एक फिल्म की शूटिंग के दौरान और दो मौकों पर एक होटल में उनके साथ रहे, जिसके लिए आरोपी द्वारा टिकट प्रदान किए गए थे। शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच संबंध सहमति की प्रकृति का था और लगभग एक साल तक शिकायत दर्ज की गई थी।

उनके बीच अंतिम संपर्क के बाद यह इंगित करता है कि यह एक के बाद है

सोचा;

(v) यह स्पष्टीकरण कि शिकायत एक साल बाद दर्ज की गई थी क्योंकि शिकायतकर्ता का इलाज चल रहा था और उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था, इसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और न ही कोई चिकित्सा रिकॉर्ड है।

उत्पादित किया गया;

(vi) शिकायत में मामला कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से शादी करने के वादे के साथ विश्वासघात किया था, इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के साथ-साथ इन कार्यवाहियों में दायर किए गए प्रत्युत्तर में भी छोड़ने की मांग की गई है।

(vii) जमानत रद्द करने के लिए पर्यवेक्षण परिस्थितियाँ ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियुक्त जमानत की शर्तों के उल्लंघन के कारण या पर्यवेक्षण आचरण के कारण स्वतंत्र होने का हकदार नहीं है।

अभियुक्त द्वारा स्वतंत्रता का दुरुपयोग। ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।

10. सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने अदालत के समक्ष आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने में उसकी प्रस्तुतियाँ दो पहलुओं से संबंधित हैं अर्थात्:

(i) क्या उच्च न्यायालय अभियुक्त को जमानत देने में न्यायसंगत था।

धारा 439 के तहत;

11. जबकि धारा 439 के तहत जमानत देने के संबंध में सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए हैं, हम रिकॉर्ड की पूर्णता के लिए नोट कर सकते हैं, कि अपीलार्थी की ओर से इस न्यायालय के निर्णयों पर कंवर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2 और बिहार राज्य बनाम राजबल्लव प्रसाद 3 में भरोसा रखा गया है। कंवर सिंह के मामले में, इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस प्रकार निर्णय दिया है:

1 2012 (120) एससीसी 180 22016 (15) एससीसी 422 32017 (2) एससीसी 178 एमएस।

एक्स वी। तेलंगाना राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" संहिता की धारा 439 उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय को जमानत के संबंध में बहुत व्यापक शक्तियां प्रदान करती है। लेकिन, देते समय

जमानत, उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय अन्य न्यायालयों के समान विचारों द्वारा निर्देशित होते हैं। अर्थात्, अपराध की गंभीरता, साक्ष्य का स्वरूप, पीड़ित और गवाहों के संदर्भ में अभियुक्त की स्थिति और स्थिति, अभियुक्त के न्याय से भागने और अपराध को दोहराने की संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने और न्याय के मार्ग में बाधा डालने की संभावना और ऐसे अन्य आधार हैंः ध्यान में रखने की आवश्यकता है। प्रत्येक आपराधिक मामला अपना विशिष्ट तथ्यात्मक परिदृश्य प्रस्तुत करता है और इसलिए, किसी विशेष मामले के लिए विशिष्ट आधारों को ध्यान में रखना पड़ सकता है -

अदालत "।

इसी सिद्धांत को लागू करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि यादव ने कहाः

दोषसिद्धि के मामलों में आरोप और सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, (ii) गवाहों को खतरे की आशंका के लिए उनके साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका। शिकायतकर्ता, और (iii) आरोप के समर्थन में न्यायालय को प्रथम दृष्टया संतुष्टि।

राजबल्लव प्रसाद में निर्णय इस बात पर जोर देता है कि स्वतंत्रता ई विषय एक महत्वपूर्ण विचार है, लेकिन सार्वजनिक हित में

आपराधिक न्याय का प्रशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण हैः

" ..... निस्संदेह अदालतों को अभियुक्त व्यक्तियों की जमानत याचिकाओं पर विचार करते समय एक उदार दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। हालांकि, किसी मामले में, यदि यह पाया जाता है कि जमानत पर रिहा होने पर आरोपी द्वारा निष्पक्ष सुनवाई में हस्तक्षेप करने की संभावना है, तो निष्पक्ष सुनवाई का यह जनहित आरोपी के व्यक्तिगत हित से कहीं अधिक होगा, जबकि एक ओर आरोपी की स्वतंत्रता और दूसरी ओर निष्पक्ष सुनवाई के लिए समाज के हित को संतुलित करने का कार्य करेगा। जब गवाह सही ढंग से गवाही देने में सक्षम नहीं होते हैं

कानून की अदालत में, इसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि की दर कम होती है और कई बार कठोर अपराधी भी दोषसिद्धि से बच जाते हैं। यह आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास को हिलाता है। यह व्यापक जनहित की आवश्यकता है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली कुशलता से, सुचारू रूप से और निष्पक्ष तरीके से काम करे।

ऐसी स्थितियों में प्रमुख महत्व दिया जाए। "(2018) 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. पूर्ववर्ती की एक सुसंगत पंक्ति में इस न्यायालय ने जोर दिया है

प्रारंभिक चरण में गैर-जमानती मामले में जमानत की अस्वीकृति और जमानत दिए जाने के बाद उसे रद्द करने के बीच का अंतर। दोलाटराम बनाम हरियाणा राज्य मामले में इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा किः

" प्रारंभिक चरण में गैर-जमानती मामले में जमानत को अस्वीकार करने और इस तरह से दी गई जमानत को रद्द करने पर विचार किया जाना चाहिए और अलग-अलग आधारों पर निपटा जाना चाहिए। बहुत दृढ और अभिभूत करने वाला

जमानत को रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए परिस्थितियां आवश्यक हैं, जो पहले ही दिया जा चुका है। आम तौर पर, जमानत को रद्द करने के लिए आधार, जो पहले से ही दिए गए हैं, मोटे तौर पर (उदाहरणात्मक और संपूर्ण नहीं) हैंः न्याय के प्रशासन के उचित मार्ग में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास या न्याय के उचित मार्ग से बचने का प्रयास या किसी भी तरह से अभियुक्त को दी गई रियायत का दुरुपयोग। अभियुक्त के फरार होने की संभावना के अभिलेख पर रखी गई सामग्री के आधार पर अदालत की संतुष्टि जमानत रद्द करने को उचित ठहराने का एक और कारण है। हालांकि, एक बार दी गई जमानत को इस बात पर विचार किए बिना कि क्या कोई पर्यवेक्षण है, यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

परिस्थितियों ने अभियुक्त को न्याय का आनंद लेते हुए अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति देने के लिए एक निष्पक्ष मुकदमे के लिए अब अनुकूल नहीं बना दिया है।

मुकदमे के दौरान जमानत की रियायत "।
इन सिद्धांतों को दो अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने दोहराया है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, हैदराबाद बनाम

सुब्रमण्यम गोपालकृष्णन और हाल ही में दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्यः

" यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक है कि जमानत रद्द करने और जमानत देने के आदेश के खिलाफ अपील करने के मानदंडों के बीच अंतर है। पहले से दी गई जमानत को रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए बहुत ठोस और भारी परिस्थितियां आवश्यक हैं। आम तौर पर, जमानत रद्द करने के आधार न्याय प्रशासन या चोरी के उचित मार्ग में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास या न्याय के उचित मार्ग से बचने का प्रयास या किसी भी तरह से अभियुक्त को दी गई रियायतों का दुरुपयोग। ये सभी केवल कुछ सचित्र सामग्री हैं। द.

4 (1995) 1 एससीसी 349 5 (2011) 5 एस. सी. सी. 296

6 2018 (2) स्केल 285 एमएस।

एक्स वी। तेलंगाना राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

अभियुक्त के फरार होने की संभावना के अभिलेख पर रखी गई सामग्री के आधार पर न्यायालय की संतुष्टि जमानत रद्द करने को उचित ठहराने का एक और कारण है। दूसरे शब्दों में, एक बार जमानत यह विचार किए बिना कि क्या किसी पर्यवेक्षण परिस्थितियों ने प्रदान किया है, अनुदान को यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

मुकदमे के दौरान जमानत की रियायत का आनंद लेते हुए अभियुक्त को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति देना अब निष्पक्ष मुकदमे के लिए अनुकूल नहीं है। ”

13. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हम इस स्तर पर, मुकदमे के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाली अपनी टिप्पणियों की संभावना को रोकने के लिए किसी भी हद तक आरोपों के गुण-दोष में तल्लीन होने के लिए इच्छुक नहीं हैं। चूंकि अदालत के समक्ष अपील पर कुछ समय तक बहस की गई है, हम अपने कारणों का संकेत दे रहे हैं, हालांकि एक स्पष्टीकरण के साथ-बहुत सावधानी के साथ-कि हमारी टिप्पणियां उन मुद्दों तक सीमित हैं जो धारा 439 के तहत जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील में यहां उत्पन्न होती हैं। विद्वान सलाह सुनने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च द्वारा विवेक का प्रयोग

वर्तमान मामले में अदालत को दोष नहीं दिया जा सकता है। शुरुआत में, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि शिकायतकर्ता का मामला यह है कि आरोपी (जैसा कि उसने शिकायत में वर्णित किया है) "प्राप्त करने के लिए झूठे वादे कर रहा था।

उससे शादी कर ली। " 6 मार्च 2018 को प्रस्तुत किए गए आरोप-पत्र में इसे दोहराया गया है। इस स्तर पर, हमें केवल यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि शिकायतकर्ता के मामले को देखते हुए भी, जुलाई 2015 और जनवरी 2016 के बीच लगभग छह महीने की अवधि में शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच अंतरंग संपर्क था। यहां तक कि शिकायतकर्ता के अनुसार, वह हैदराबाद में दो मौकों पर आरोपी से मिलने गई थी

और उसके साथ रहे। मुंबई से उसकी यात्रा के टिकट आरोपी ने लिए थे। शिकायत लगभग एक साल बाद जनवरी 2017 में दर्ज की गई थी। यह एक प्रासंगिक परिस्थिति है जिस पर उच्च न्यायालय ने ध्यान दिया है। ये परिस्थितियाँ इस पर निर्भर करती हैं बचाव पक्ष ने कहा कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच सहमति से संबंध था। उसकी शिकायत के साथ-साथ आरोप पत्र में भी यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने उससे शादी करने का झूठा वादा किया था।

शिकायतकर्ता। हालाँकि, प्रत्युत्तर के दौरान, शिकायतकर्ता ने इस रुख को काफी हद तक कमजोर कर दिया है, यह आरोप लगाते हुए किः

" याचिकाकर्ता ने हर स्तर पर-इस माननीय न्यायालय के समक्ष दलीलों सहित-यह बनाए रखा है कि शादी करने का वादा

यह केवल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की पूरी व्याख्या थी। "[2018] 4 एस. सी. आर.

16. तथापि, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित व्यक्तिगत बंधपत्र की मात्रा को तथ्यों में बढ़ाया जाना चाहिए और मामले की परिस्थितियाँ। हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि व्यक्तिगत बांड की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी जाए। आज से दो सप्ताह के भीतर अनुपालन लागू हो जाएगा। उपरोक्त संशोधन के अधीन, अपील का निपटारा किया जाएगा। लंबित आई. ए., यदि कोई हैं, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाएगा।

अपी

ल का निपटारा किया गया।

कल्पना के. त्रिपाठी